FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** STATE VIGILANCE AND **P.S.(थाना):** KULLU **Year(वर्ष):** 2022
   FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0002 **Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):** 27/09/2022 10:37 PM

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	IPC 1860	411
2	IPC 1860	120-B
3	PREVENTION OF DAMAGE TO PUBLIC PROPERTY ACT, 1984	3

3. **(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** Tuesday **Date From(दिनांक से):** 27/09/2022 **Date To(दिनांक तक):** 27/09/2022
      Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 01:50 PM **Time To (समय तक):** 08:50 PM

   (b) Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): **Date(दिनांक):** 27/09/2022 **Time (समय):** 10:07 PM

   (c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): **Entry No.(प्रविष्टि सं.):** 012 **Time (समय):** 27/09/2022 10:07 PM

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. **(a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 50 Km(s) **Beat No(बीट सं.) :**
      (b) Address(पता): Chichu Ropa Sari, Sainj, 175134
      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
      Name of P.S(थाना का नाम): SAINJ **District(State)(ज़िला(राज्य)):** KULLU(HIMACHAL PRADESH)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
   (a) Name(नाम): Sunil Kumar
   (b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): 13/07/1982 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) UID No (यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	VILLAGE-PS SV ACB KULLU , TEHSIL-KULLU , DISTRICT-KULLU, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	**Permanent Address**	VILLAGE-PS SV ACB KULLU , TEHSIL-KULLU , DISTRICT-KULLU, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name(रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थाई पता)
1	Hukam Singh		VILLAGE-Ropa Sari ,TEHSIL-Sainj,PS-SAINJ,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-Ropa Sari ,TEHSIL-Sainj,PS-SAINJ,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ती के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	OTHERS	MISCELLANEOUS	STOLEN	17 सरकारी पाईपें	

10. **Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰, यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

इस समय निरीक्षक सुनील कुमार द्वारा लिखित रुक्का वदस्त आरक्षी दुर्गा सिंह थाना रा0 स0 एवं भ्र0 रो0 ब्यूरो कुल्लू द्वारा अभियोग पंजीकृत करने हेतु थाना में प्राप्त हुआ जिसका मजवुन निम्न है। MHC पुलिस थाना रा0स0एवंभ्र0रो0ब्यूरो कुल्लू जिला कुल्लू (हि0प्र0) निवेदन इस प्रकार से है कि दिनांक 23/09/2022 को मन नि0 को मुखविर खास ने पुलिस थाना रा0स0एवंभ्र0रो0ब्यूरो कुल्लू,जिला कुल्लू (हि0प्र0) मे आकर सूचना दी कि हुक्म सिंह पुत्र श्री मेहर चन्द गांव-रोपा(सारी), डा0-सैंज त0- सैंज जिला कुल्लू उम्र 27 वर्ष ने अपने घर व निर्माणाधीन होम-स्टे मे कई जगह लोहे के विकल्प के रूप मे जल शक्ति विभाग द्वारा प्रयोग की जाने वाली सरकारी पाईपों का अवैध रूप से प्रयोग किया है तथा कुछ पाइपे अभी भी घर मे या आस पास छुपाई हुई हो सकती है । जो सूचना पुख्ता व यकीनन है जो सूचना को रोजनामचा मे दर्ज करके रपट न0.8 दिनांक 23/09/22 दर्ज की गई व अलग से एक पत्र खाना तलाशी वांरट लेने हेतु धारा 94 भा0द0प्र0स0 में तैयार करके मन नि0 ने माननीय अदालत Ld. JMFC बंजार मे जाकर प्रेषित किया व वारंट खाना तलाशी प्राप्त करके वापसी थाना पर रपट न0 12 दिनांक 23/09/2022 दर्ज की गई । इसके पश्चात एक पत्र संख्या 1824/5ए आज दिनांक 27/09/2022 को तैयार किया व अपनी तहबील मे रखा । इसके पश्चात वाहुक्म थाना प्रभारी/उप पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया जो टीम मे मन नि0 ,महिला नि0 ओमा देवी, स0उ0नि0 श्याम लाल, स0उ0नि0 राजीव कुमार, मा0मु0आ0 प्रेम प्रकाश,HASIथरचन छेरिंग आ0 राजेश कुमार, आ0 दुर्गा सिंह, गृहरक्षक तीखु राम, गृह रक्षक नरेश, व सवारी सरकारी गाडी जेर चालक आ0 रोशन लाल को शामिल करके मन नि0 मय उपरोक्त टीम व सवारी सरकारी व प्राईवटे गाडी जेरे रहनुमाई थाना प्रभारी/उप पुलिस अधीक्षक महोदय के मय लैपटैप, प्रिंटर व अन्वेषण किट , सरकारी जैकैट, व टार्च लेकर रवाना सैंज का हुआ । सैंज मे पहुंचने से पहले ही लारजी मे अधिशाषी अभियंता लारजी को पत्र सख्या 1824/5ए दिनांक 27/9/22 को लारजी में कार्यालय मे प्रेषित करके बराये इमदाद कनिष्ठ अभियंता श्री ब्रहमानंद पुत्र श्री अनंत राम, गांव-टिपरी , डा0-भ्रैण , त0-भुंतर जिला-कुल्लू (हि0प्र0) को हमराह लिया व मदद हेतु अन्य कर्मचारियो को मौका पर आने बारा हिदायत करी व रवाना मौका के हुये । रास्ता में पुलिस थाना सैन्ज से भी 2 कर्मचारी वराये इमदाद लिए गए व ग्राम पंचायत प्रधान दुशहड श्रीमति सीता देवी व श्री झाबे राम पुत्र श्री चुन्नी लाल निवासी दुशहड को वतौर स्वतन्त्र गबाह शामिल किया व मौका पर समय 1:50 बजे दिन पहुंचे। मौका पर पहुंच कर ग्राम चिचूरोपा की वार्ड पंच का पता किया तो पता चला कि हुक्म राम जिसके खिलाफ सूचना प्राप्त हुई है, की पत्नी श्रीमती धन्ना देवी ही उक्त गांव की वार्ड पंच है जो घर पर मौजूद मिली जिसने फोन करके हुक्म सिंह पुत्र श्री मेहर चन्द गांव-रोपा(सारी), डा0-सैंज त0- सैंज जिला कुल्लू को मौका पर घर पर वुलाया । जिसे हालात मौका वतलाकर व वारंट खाना तलाशी दिखाकर वारंट की एक कापी मौका पर दी । मौका पर पाया गया कि हुक्म राम के दो रिहायशी घर एक पक्का व एक कच्चा एक मजिला है जो पक्का घर एक मंजिला, पक्का लेटर पोश जिस पर पीले रंग का पेंट हो रखा है व कच्चा घर दो मंजिला स्लेटपोश है जो दोनों मकान एक दूसरे के आमने सामने करीब 15 फुट दूरी पर है । घर पक्का से करीब 50-60 मी0 दूरी पर पूर्व दिशा मे दो होम स्टे नवनिर्मित व एक होम स्टे(कैफै) निर्माणाधीन बगीचा सेब,अनार व नाशपती के वीच पाया गया । दोनो रिहायशी मकान व दोनो होम स्टे व नवनिर्मित होम स्टे (कैफै) की खाना तलाशी लेने से पहले अपनी व किट की तलाशी हुक्म राम को दी गई व म0 नि0 ओमा की जामा तलाशी हुक्म राम की पत्नी धन्ना देवी को दी गई व पुलिस आई कार्ड व आईओ किट के सामान के अलावा कुछ भी सदिग्ध न पाये जाने पर फर्द जामा तलाशी खुद

व अदम बरामदगी तैयार की गई । इसके पश्चात बारी- बारी दोनो रिहायशी मकान की खाना तलाशी अमल मे लाई । जो घर के अदंर से कोई भी सरकारी पाईप व संदिग्ध सामान बरामद न हुआ । इसके पश्चात तीनो उपरोक्त होम स्टे की खाना तलाशी ली गई । जो दो नवनिर्मित होम स्टे मे कोई भी सरकारी पाईप बरामद न हुई परतु तीसरे निर्माणाधीन होम होमस्टे (कैफै) मे पूरा कैफै ही लगी हुई लकडी के सिवाय लोहे की पाईपो के सहारे वनाया हुआ पाया गया । जिसकी फोटो ग्राफी व विडियो ग्राफी आ0 दुर्गा सिंह ने सरकारी कैमरे से की । जो सभी पाईपो को काले रंग से पेंट किया गया था जिन्हे खुरचने पर सभी पाईपो/पाइप के टुकडों पर HP Govt व अलग अलग वर्ष व नम्बर पंच होना पाया गया ।इसी दौरान जल शक्ति विभाग से कर्मचारी फिटर अमरनाथ, किशन चन्द,चौकीदार प्रेम सिंह, जल रक्षक घनश्याम व परमार सिंह बराये इमदाद मौका पर आये । जो सभी पाईपो को हमराह साथ आये कनिष्ठ अभियंता श्री ब्रहमानंद ने चैक करके वतलाया कि उक्त सभी पाइपे सरकारी है जिन्हे काटकर अलग अलग वैल्डिंग करके लगाया गया है जिस पर उक्त होम स्टे (कैफै/Hut) का निर्माण किया जा रहा है । जो गिनती करके कुल-17 काले रंग से पेंट की हुई पाईपे टुकडे जो विभिन्न इंच की है ,के रूप मे पाई गई । जिनका विवरण अलग से फर्द बरामदगी व मकबूजगी तैयार करके फर्द मे दिया गया है । इसके पश्चात हुक्कम राम के घर को एक पानी के सोर्स नाला (कुमरू नाला) जो घर से करीब 1 कि0मी0 दूरी पर स्थित है से पानी को प्लास्टिक पाइप व लोहे की पाइपों से लाना पाया गया । जो नवनिर्मित होम स्टे (कैफै/Hut) से करीब 15-20 मी0 दूरी से प्लास्टिक पाइप से शुरू थी व पूर्व दिशा मे स्थित विद्याप्रकाश के रिहायशी मकान से करीब 10 मी0 दूरी के पास कच्चे रोड तक लोहे की पाईपे लगना पाई गई । जिन्हे हमराह कनिष्ठ अभियंता ने चैक करके वतलाया कि उक्त सभी पाईपे भी सरकारी है व उक्त लाईन सरकारी न है तथा न ही उक्त लाईन से किसी अन्य को पानी की सुविधा सरकार द्वारा दी गई है । उक्त लाइन/पाइपे हुक्मराम द्वारा अपने नीजी कार्य घर के साथ जो सेब,अनार, नाशपती बगीचा है को पानी देने के लिये प्रयोग की है । जो सभी पाइपों पर HP Govt व वर्ष तथा अलग-अलग न0 पंच है । जो सभी पाइपो को जल शक्ति विभाग के कर्मचारियो की मदद से खुलवाई गई तथा गिनती करने पर कुल -17 पाइपे प्रत्येक का डाया 20 mm व प्रत्येक की लम्बाई 20 फुट मापने पर पाई गई व कुल 6 टुकडे पाइप अलग से विभिन्न mm के प्रयोग हुये व होम स्टे (कैफै/Hut) को लगाने हेतु रखे भी बरामद हुये जिन्हे अलग फर्द द्वारा कब्जा पुलिस मे लिया गया व पूर्ण विवरण फर्द मे दिया गया है । सभी उपरोक्त पाईपों व पाइप के टुकडो जो सरकारी जल शक्ति विभाग की होना पाई गई है जिनकी तस्दीक मौका पर जल शक्ति विभाग के कर्मचारी कनिष्ठ अभियंता ने करके इस सन्दर्भ मे एक प्रमाणपत्र भी जारी किया है । जिन्हे अलग अलग फर्द द्वारा कब्जा पुलिस मे लिया गया है । जो सभी सरकारी पाईपों पर HP Govt व अलग -अलग वर्ष तथा नम्बर अकिंत होना/छपा होना पाया गया । हुक्म सिंह के द्वारा इस तरह अपने घर/रिहायशी मकान/होम स्टे व बगीचा मे जल शक्ति विभाग की सरकारी पाइपे विना किसी परमिशन के लगाना/प्रयोग करना व रखने वारा मौका पर पूछा तो कोई जबाब न दे पाया न ही कोई कागजात या बिल पेश कर पाया । इस तरह हुक्म सिंह उपरोक्त द्वारा अपने घर मे जल शक्ति विभाग द्वारा प्रयोग की जाने वाली सरकारी पाइपों को किसी अंजान व्यक्ति द्वारा चुराई हुई को जान वूझकर लेना/प्राप्त करना , व किसी अंजान व्यक्ति द्वारा उक्त घटना मे सहयोग करना तथा सरकारी पाइपों को काटकर नुकसान करके अपने निजि प्रयोग मे लाना जुर्म जेर धारा 411, 120 बी भा0द0स0 तथा धारा 3 लोक संपति नुकसान निवारण अधीनियम का घटना मे आना पाया जाकर रूक्का तैयार करके , अभियोग दर्ज करने हेतु आ0 दुर्गा सिंह के पास मय गाडी सरकारी जेर चालक आरक्षी रोशन लाल के पुलिस थाना रा0स0एवंभ्र0रो0ब्यूरो कुल्लू भेजा गया । अभियोग दर्ज करके अभियोग संख्या से सूचित करे । मन नि0 मौका पर अन्वेषण मे व्यस्त हूं । Sd/- Sunil Kumar Insp./ I.O. PS SV&ACB Kullu . Camp at रोपा (सारी) at 8.50 PM दिनांक 27-12-2022 याददाश्त MHC दूरी थाना से- करीब 50 किमी0 दिशा थाना से - पूर्व दिशा मुकाम- चिचूरोपा(सारी) कार्यवाही पुलिसः- हस्व आमदा रुका को शब्द व शब्द लिखा जाकर FIR की प्रतियां एक ही समय में बजरीया कम्पयुटर द्वारा तैयार की गई FIR हजा की एक प्रति विशेष सत्र न्यायधीश कुल्लु भेजी जा रही है। जो जुर्म विशेष नोईयत का है FIR हजा को ही विशेष प्रतिवेदन रिपोर्ट समझा जाए । वकुहा का हजा का इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्ट्रों इत्यादि में भी किया जा रहा है व विजैस ब्यूरो की वैवसाईट में भी FIR को अपलोड करने के लिए अलग से ई-मेल भेजी जा रही है। मिसल मुकदमा तैयार करके आरिन्दा आरक्षी दुर्गा सिंह के मय गाडी सरकारी जेर चालक आरक्षी रोशन लाल के वर मौका निरीक्षक / अन्वेष्णाधिकारी सुनील कुमार के भेजी जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का नाम): Sunil Kumar **Rank (पद):** INSP. (Inspector)

No(सं.): **to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or**

(3) Refused investigation due to(जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

Transferred to P.S.(थाना): **District(ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Girdhari Lal
Rank (पद): HC (Head Constable)
No(सं.): 11

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)